फोन नं. 07723–223834
फैक्स नं. 07723–224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमांक/1296/ जि.पं./स्था./2015 महासमुन्द, दिनांक 09/12/2015

//विज्ञापन//

जिला पंचायत महासमुन्द (डी.आर.डी.ए.) के अंतर्गत रिक्त अधोलिखित (संविदा) पद पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम– 2012 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तो, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 28.12.2015 को सायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपना आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द के पदनाम से प्रेषित कर सकेगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रं.	पद का नाम	एकमुश्त संविदा वेतन	कुल पद संख्या	अना.		अ.ज.जा.		अ.जा		अपिव		योग
				महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	शीघ्रलेखक	15638/–	01	–	01	–	–	–	–	–	–	**01**

1. शैक्षणिक योग्यता :–

(1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2)परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से –
हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री का 10,000 की(Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

टीप :–

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–4/2015/1/3 दिनांक 23.01.2015 के अनुसार कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है।

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेंशन टेक्नालॉजी/मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेण्ट का डिप्लोमा (2वर्ष से अन्यून)

3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्प युनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फारमेंशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
4. DOEACC Society New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

2. **निर्धारित आयु सीमा :–**

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आयु दिनांक 01.07.2015 को 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी।

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
2. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी.
3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
4. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड"" धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट रहेगी।
5. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1, दिनांक 28.6.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
6. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित" शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार,गुण्डाधूर सम्मान,महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.
7. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध)नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
8. भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आयु सीमा की छूट होगी.

3. **नियम एवं शर्तें :–**

1. संविदा नियुक्ति एक वर्ष तक के लिये होगी तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
2. वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन दिनांक 28/12/2015 समय सायं 05 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

6. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
7. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाएं।
8. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत है उन्हें अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगें।
11. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले अथवा किसी भी प्रकार का दवाब डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
13. नियुक्ति निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट आधार पर किया जावेंगा।
14. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/– रू. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9X4के आकार का अनिवार्य रूप से आवदेन के साथ संलग्न करना होगा।
16. विज्ञापित पद पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी और उसे वेबसाईट www.zp-msamund .cg@nic.in/ www.zp-mahasamund.cgpanchayat.gov.in/www.cgstate.gov.in में भी अपलोड किया जावेगा। किसी कारण से यदि व्यक्तिगत सूचना के प्राप्ति में विलम्ब होने अथवा सूचना प्राप्त नहीं होने पर वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचना माना जावेगा।

4. चयन प्रक्रिया :–

स्टेनोग्राफर (संविदा) पद हेतु

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का (weightage)देते हुये 50 अंक
2. शीघ्रलेखक पद हेतु शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्थाओं में कार्य का अनुभव में न्यूनतम 01–03 वर्ष तक के अनुभव पर 05 अंक एवं 03–05 वर्ष तक के अनुभव पर 10 अंक
3. स्टेनो परीक्षा हिन्दी में 20 अंक
4. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में 20 अंक

उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात् अर्हतादायी उम्मीदवारों की उपरोक्त क्रमांक 01 एवं 02 के प्राप्तांक के अनुसार मैरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शार्ट लिस्टींग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पद के 10 गुणा (01:10) प्रावधिक सूची तैयार कर स्टेनो परीक्षा हिन्दी एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

5. कौशल परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा भले ही वह मेरिट क्रम में अन्य उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किया हों।
6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण के अतिरिक्त उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।
7. समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवारों को उनके जन्मतिथि के आधार पर जिनका जन्मतिथि पहले हो उन्हें मेरिट क्रम में उपर रखा जावेगा।

टीप :– विस्तृत जानकारी जिला पंचायत महासमुन्द के वेबसाइड www.zp-msamund .cg@nic.in/ www.zp-mahasamund.cgpanchayat.gov.in/www.cgstate.gov.in एवं जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। पदों की संख्या, आरक्षण एवं वेतनमान में नियमानुसार संशोधन किया जा सकता है।

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा (IAS)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

शीघ्रलेखक (संविदा) पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदित पद का नाम :– .....
2. आवेदक का पूरा नाम :– .....
3. पिता/पति का नाम :– .....
4. जाति(अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) :– .....
5. जन्मतिथि :– दिनांक.....माह.....वर्ष
6. दिनांक 01.07.2015 को आयु :– दिनांक.....माह.....वर्ष
7. स्थायी पता :– .....
   .....
   दूरभाष क्रमांक :– .....
8. पत्राचार का पता :– .....
   .....
9. राष्ट्रीयता :– .....
10. जन्म स्थान :– .....
11. आवेदक का शैक्षणिक योग्यता :– .....

क्रमांक	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

12. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजायन क्रमांक व दिनांक :– .....
13. अन्य योग्यता/अनुभव :– .....
    .....
14. संलग्नों की सूची :– .....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम व पता)

घोषणा पत्र

मै घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मै निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम व पता)

पृ0क्रमांक/1296 2/स्था0./जि0पं0/2015 महासमुन्द दिनांक 09/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर महासमुन्द की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक छ.ग. संवाद रायपुर को कृपया बहुप्रसारित दो समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन करने हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग महासमुन्द/पिथौरा/सरायपाली को सूचनार्थ।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी महासमुन्द को वेबसाइड में अपलोड हेतु।
8. जिला परियोजना प्रबंधक, जिला पंचायत महासमुन्द को वेबसाइड में अपलोड हेतु।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय महासमुन्द को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द /बागबाहरा/पिथौरा/बसना/सरायपाली को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा (IAS)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द